उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

//ज्ञापन//

क्रमांक सी / 5403 / जबलपुर, दिनांक 30 / नवम्बर, 2018
पांच–5–4 / 74

प्रति,

1. जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
(समस्त), (म0प्र0)।

2. प्रधान न्यायाधीश,
कुटुम्ब न्यायालय,
(समस्त), (म0प्र0)।

विषयः– न्यायिक अधिकारियो द्वारा किराये पर लिए गए निजी आवासगृह के किराया निर्धारण एवं भुगतान के संबंध में।

–:0:–

निर्देशानुसार उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि समस्त जिला एवं सत्र न्यायालय एवं कुटुम्ब न्यायालय के न्यायिक अधिकरियो के द्वारा किराये पर लिये जाने वाले निजी आवासगृह के किराए की प्रतिपूर्ति हेतु रजिस्ट्री की ओर प्रेषित दस्तावेज अपूर्ण होने से न्यायिक अधिकारियो को किराये संबंधी परेशानी उत्पन्न होती है।

अतः आपसे अनुरोध है कि भविष्य में न्यायिक अधिकारियो द्वारा किराये पर लिए गए निजी आवासगृहों के किराये की प्रतिपूर्ति हेतु नस्ती रजिस्ट्री को प्रेषित करते समय उसमें निम्नलिखित दस्तावेजो की संलग्नता सुनिश्चित की जावेः–

1/ जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कार्यालय से न्यायिक पूल में शासकीय आवासगृह अनुपलब्धता प्रमाण पत्र।

2/ संभागीय मुख्यालय में संभागायुक्त(राजस्व) तथा शेष स्थानों के लिए जिला कलेक्टर से सामान्य पूल के शासकीय आवासगृह के संबंध में अनुपलब्धता प्रमाण पत्र।

3/ किराया अनुबंध की छायाप्रति।

4/ न्यायिक अधिकारी के द्वारा किराए पर लिए जाने वाले निजी आवासगृह का निर्मित क्षेत्रफल उन्हे पात्रता आने वाले शासकीय आवासगृह के बराबर है अथवा कम या ज्यादा के संबंध में कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/स) का प्रमाण पत्र, मानचित्र सहित।

5/ जिला कलेक्टर का किराया औचित्य प्रमाण पत्र।

30.11.18

(सनत कुमार कश्यप)
रजिस्ट्रार(कार्य/अधोसंरचना)

–:00:–